

संख्या व
काम जो
समील मे

राजस्व वाद संख्या:- 34/2023
नवगठित ग्राम पंचायत काजी बनाम ओमप्रकाश वगै०
निर्णय दिनांक:- 05.10.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :-

दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 34/2023

नवगठित ग्राम पंचायत काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान जरिये सरपंच
विनोद कुमार पुत्र श्री मखनलाल जाति नायक निवासी काजी ग्राम पंचायत काजी
पंचायत समिति पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।

बनाम

- वादी

1. ओमप्रकाश पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
2. कमला देवी पत्नी बनवारी जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
3. कौशिल्या पुत्री जगनाराम जाति कुम्हार निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
4. खजानी पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
5. गुगनराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
6. चन्दगीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
7. जयप्रकाश दत्तक पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
8. जोखीराम पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
9. ताराचन्द पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
10. दयानन्द पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
11. देशराम पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
12. धन्नी पत्नी धर्मराम जाति कुम्हार निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
13. धर्मपाल पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
14. धर्मवीर पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
15. धर्मा पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
16. धर्मो पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
17. नतीस कुमार पुत्र सुबेसिंह जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
18. निमो पुत्री छोटूराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
19. पतासी पुत्री शेराराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
20. पन्नाराम पुत्र गोरुराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
21. प्रताप सिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
22. प्रताप सिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
23. प्रदीप कुमार पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
24. फुली पत्नी छोटूराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
25. बलबीर सिंह पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
26. बिमला पत्नी बनवारी जाति कुम्हार निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
27. बोबदी पुत्री छोटूराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
28. भगवानी पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।
29. मखनराम पुत्र झाबरराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज०।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

66. सिलोचना पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज0।
67. सोमवीर पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज0।
68. हवासिंह पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज0।
69. होशियार सिंह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी काजी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज0।
70. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राजस्थान

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन

:: निर्णय ::

दिनांक - 05.10.2023

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि-

- (क) यह कि भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 1.1100 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 1.1100 हैक्टर वाके ग्राम काजी पटवार हल्का हमीनपुर तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राजस्थान में स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 2741/5400 दर्ज रिकॉर्ड हिस्से के मुताबिक रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किया जाकर वादी का अलग से खसरा कायम किया जावे, अलग से पासबुक जारी कि जावे, अलग से लगान कायम किया जावे।
- (ख) यह कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।
- (ग) यह कि अन्य सिद्धी जो वादीया के हक में हो तथा किसी कारणवश भूल से चाही जाने से रह गई हो वह भी धारा 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 23 की और से श्री राजकुमार एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 01 लगायत 22 एवं 24 लगायत 70 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे जिनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लारी गई। वादी वकील ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। वकील प्रतिवादी संख्या 23 ने अनापत्ति जाहिर की।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074-77, नक्शा ट्रेस एवं विभाजन प्रस्ताव।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 23 ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

राजस्व वाद संख्या:- 34/2023
नवगठित ग्राम पंचायत काजी बनाम ओमप्रकाश वगै०
निर्णय दिनांक:- 05.10.2023

-:: आदेश:-

न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा नम्बर 178 रकबा 1.1100 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 1.1100 हैक्टर वाके ग्राम काजी पटवार हल्का हमीनपुर तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान में नायब तहसीलदार पिलानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 218 दिनांक 15.05.2023 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार पिलानी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

(दयानंद रुयल)

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 05.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:- 34/2023
नवगठित ग्राम पंचायत काजी बनाम ओमप्रकाश वगै०
निर्णय दिनांक:- 05.10.2023

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं

दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

पीठासीन अधिकारी :-

राजस्व वाद सं.- 34/2023

निर्णय दिनांक :- 05-10-2023

नवगठित ग्राम पंचायत काजी बनाम ओमप्रकाश वगै०

दावा बाबत खाता विभाजन

वादी की ओर से श्री सोमवीर सिंह एड० व प्रतिवादी सं० 23 की ओर से श्री राजकुमार एड० की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.10.2023 को दयानंद रूयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

"न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा नम्बर 178 रकबा 1.1100 हैक्टर कुल किता 01 कुल रकबा 1.1100 हैक्टर वाके ग्राम काजी पटवार हल्का हमीनपुर तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान में नायब तहसीलदार पिलानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 218 दिनांक 15.05.2023 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार पिलानी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 05.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दयानंद रूयल)

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

पदेन उप जिला कलक्टर,

सूरजगढ़